

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 01-A/2020 - रेफरेन्स

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल	बनाम	1. श्री चत्रभुज पिता घीसा कुमावत 2. श्री लक्ष्मण पिता घीसा कुमावत निवासीयान सोदानपुरा तहसील माण्डल
-प्रार्थी		-विपक्षी

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 रा.भू.रा. अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. परोकार सरकार - प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 05-8-2020

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/एल.आर./2013/863/भीलवाडा सरकार बनाम चत्रभुज निर्णय दिनांक 21.10.2019 में अंकन किया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 02.08.2004 पारित करते हुये 15 अगस्त 1947 की स्थिति कायम रखने हेतु निर्देशित किया है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि इस प्रकरण में दिनांक 15.08.1947 से पूर्व का कोई भी राजस्व रिकार्ड संलग्न नहीं है। प्रकरण पूर्ण तैयार करने के पश्चात् ही यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुनः मण्डल में प्रेषित किया जावे। तहसीलदार माण्डल से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार -

1. ग्राम सोदानपुरा तहसील माण्डल के आराजी नंबर 480/1 रकबा 0.02 बीघा भूमि की किस्म पूर्व में गै0मु0नदी दर्ज थी, जो विपक्षीगण को दिनांक 17.05.1993 को चाह नियमन की गई।
2. प्रभारी अधिकारी, ग्राम विकास शिविर, तहसील माण्डल द्वारा आदेश प्रकरण सं0 17/1993 दिनांक 17.05.1993 से ग्राम सोदानपुरा तहसील माण्डल की आ0नं0 1 रकबा 0.02 बीघा भूमि पर खोदे गये अवैधानिक कुएं को सशर्त नियमित किया गया। आदेश में भूमि की किस्म नदी पेटा अंकित हैं। आदेश की पालना में खोले गये नामान्तरकरण सं0 196 में आराजी नं0 1 रकबा 11.17 बीघा भूमि की किस्म नदी दर्ज हैं।
3. उक्त नामान्तरकरण में आ0नं0 480/1 रकबा 0.02 बीघा को विपक्षीगण के नाम नदी पेटा दर्ज किया गया, जो दिनांक 19.05.1993 को स्वीकृत हुआ है।
4. राजस्व अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में प्रश्नगत आराजी नंबर 480/1 रकबा 0.02 बीघा भूमि विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी (लीज) हक के रूप में अभिलिखित है।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रेफरेन्स/ एल. आर./2013/863/भीलवाडा सरकार बनाम चत्रभुज निर्णय दिनांक 21.10.2019 रेफरेन्स प्रतिवेदन प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 10.01.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

अति जिला कलक्टर
भीलवाडा

पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम सोदानपुरा तहसील माण्डल के आराजी नंबर 1 रकबा 11.17 बीघा किस्म नदी संवत् 2049 से 2050 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी, जो उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के प्रकरण संख्या 17/93 से प्रार्थी चत्रभुज लक्ष्मण पिता घीसा कुमावत को अलोटमेन्ट ऑफ लेण्ड फोर डिगिंग ऑफ वेल एण्ड इन्स्टालिंग ऑफ पम्पिंग सेट फोर इरोगेशन रूल्स 1979 के नियम 12 ए के तहत ग्राम सोदानपुरा तहसील माण्डल में आराजी नं. 1 क्षेत्रफल 02 बिस्वा ने कुएं का नियमन दिनांक 17.05.1993 को किया गया, जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

प्रार्थी तहसीलदार माण्डल ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों के अनुरूप दिनांक 15.08.1947 से पूर्व का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत करने में असमर्थता प्रकट की हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत नियमित की गई भूमि की किस्म प्रतिबंधित श्रेणी की होने से नियमन नियमों के विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है एवं भूमि की किस्म को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाना आवश्यक हैं। उपर्युक्त विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि तत्समय भी प्रश्नगत आराजी भू-भाग किस्म नदी दर्ज रिकार्ड थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जनहित याचिका 1536/03 एवं रिट पीटीशन सं० 11153/2011 में पारित निर्णय के अनुसरण में प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतःएव—

आदेश

तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम सोदानपुरा तहसील माण्डल के आराजी नंबर 1 रकबा 11.17 बीघा किस्म नदी संवत् 2049 से 2050 की जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड थी जिसमें नियमन से विपक्षीगण का नाम हटाया जाकर पुनः नदी अंकित कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स स्वीकृति हेतु प्रेषित करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 05-08-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा